



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2019/माघ 24, 1940

No. 96]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2019/MAGHA 24, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 112(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष) संवर्ग समूह 'ख' पद पर भर्ती नियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (गृह मंत्रालय) में निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष), संवर्ग 'ख' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इनका नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष), संवर्ग 'ख' पद, भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की हो।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **चिकित्सीय दृष्ट्या योग्यता.**—इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग शेष-I में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनों के लिए शेष—I से निम्नानुसार परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है:—

(I) कोड अक्षर शेष (एस.एच.ए.पी.ई.) जो निम्नलिखित कृत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए घटकों के अधीन अधिकारी की योग्यता निर्धारित करने के पश्चात्, चिकित्सा अधिकारी का दिया गया चिकित्सा वर्गीकरण:—

एस	—	मनोवैज्ञानिक
एच	—	श्रवण शक्ति
ए	—	उपांग (अपैन्डेजेस)
पी	—	शारीरिक क्षमता
ई	—	दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक घटक के अधीन किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 द्वारा कम होती हुई कार्यात्मक क्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी। कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे, सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी-1 में है, वहां उसका प्रवर्ग एस1 एच1 ए1 पी1 ई1 लिखने के बजाय शेष-1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा। इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है :-

(क) कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य।

(ख) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किंतु क्या, कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आँखों की श्रवण शक्ति/दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं।

(ग) "एस" घटक को छोड़कर, नेमी या अतिरिक्त कर्तव्यों के लिए योग्य किंतु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी क्षेत्रों पर और लंबे कर्तव्यों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं।

(घ) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।

(ङ.) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य।

6. अन्यदेशीय की अपात्रता.—कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा :

परंतु इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बल में नेपाल या भूटान के नागरिकों की नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी।

7. अधिवर्षिता.—(1) ऐसे कार्मिक जो निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष), का पद धारण किए हुए हैं, उस मास के जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होंगे:

परन्तु कोई जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होंगे।

8. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग, के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

10. निर्वचन:—यदि इन नियमों के निर्वचन को लेकर कोई प्रश्न उठता है, तो वह केंद्रीय सरकार को भेज दिया जाएगा जो इस पर निर्णय लेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष)	1* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 7 (44900—142400 रु.)	लागू नहीं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।

(6)

30 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण.—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।

(7)

1. शैक्षिक अर्हताएं आवश्यक:—

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक।

वांछनीय:

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर,

(iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा।

अनुभव:—केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या संस्थान से पुस्तकालय में कार्य का दो वर्षों का वृत्तिक अनुभव।

2. शारीरिक मानदंड:—

	पुरुष	महिला
ऊँचाई	170 सें.मी.	157 सें.मी.

शिथिलीकरण:

गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठों और सिक्किम	165 सें.मी.	155 सें.मी.
--	-------------	-------------

नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय,

असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और लेह तथा जम्मू-कश्मीर

के लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए

न्यूनतम ऊंचाई

अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए	162.5 सें.मी.	154 सें.मी.
--	---------------	-------------

छाती :

	साधारण	अनुसूचित जनजातियों
(बिना फुलाए)	80 सें.मी.	77 सें.मी.
(फुलाने पर)	85 सें.मी.	82 सें.मी.

वजन: चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के अनुरूप (पुरुषों और महिलाओं के लिए)

3. चिकित्सा मानदण्ड:

(क) दृष्टि: बिना सुधार किए हुए अर्थात् लेंस के चश्मा लगाए बिना दोनों आंखों की न्यूनतम दूर दृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए।

(ख) अभ्यर्थियों को संहत जानु(नॉक-नी), चपटा पाँव, फूली हुई नसें या भेंगी आंखों वाला नहीं होना चाहिए और रंग दृष्टि उच्च होनी चाहिए। उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और ऐसे दोष से मुक्त होना चाहिए जिनमें उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में बाधा आने की संभावना हो।

4. शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षण और साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त होना चाहिए।

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
<p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा :</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रशासन के ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(अ) (i) मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों</p> <p>(ii) नियुक्ति के बाद मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 या समतुल्य पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और</p> <p>(ब) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हों।</p> <p>टिप्पण 1.—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2.—प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(1) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष;</p> <p>(2) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य;</p> <p>(3) कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य;</p> <p>(4) उप कमांडेंट या वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य।</p>	लागू नहीं।

[फा. सं. 1.12012/09/2016—संगठन]

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2019

G.S.R. 112(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992) and in supersession of Indo-Tibetan Border Police Force, Inspector (Librarian), Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Inspector (Librarian), in the Indo-Tibetan Border Police Force under the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Inspector (Librarian), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Medical Fitness.— Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

Explanation.— For the purposes of this rule SHAPE-I means Medical Category defined as under :-

(i) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following function :-

S-	Psychological
H-	Hearing
A-	Appendages
P-	Physical capacity
E-	Eye sight

(ii) Functional capacity of an officer under each factor will be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency. The numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S1H1A1P1E1. General evaluation of these numerals is as under:-

(a) Fit for all duties anywhere.

(b) Fit for all duties but may have limitations as to type of duties and area of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing/vision of both ears/eyes.

- (c) Excepting “S” factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments.
- (d) Temporarily unfit for duties on account of hospitalisation or sick leave.
- (e) Permanently unfit for duties.

6. Ineligibility of non-citizens of India.—No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

7. Superannuation.—Personnel holding the rank of Inspector (Librarian) shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty-seven years:

Provided that a person whose date of birth is on the first of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty-seven years.

8. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

10. Interpretation.—If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be referred to the Central Government who shall decide the same.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Inspector (Librarian)	1* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group ‘B’ Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 7 (Rs. 44900 - 142400).	Not applicable.

Age limit for direct recruits.

(6)

30 years (Relaxable for Government. servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by Central Government).

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the union territory of Andaman and Nicobar and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.

(7)

Educational Qualifications:-

Essential:

- (i) Bachelor Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute.

Desirable:		
(i) Master Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute;		
(ii) Diploma in Computer Applications from a recognised University or Institute.		
Experience:		
(i) Two years professional experience in a Library under Central Government or State Government or Autonomous or statutory organization or public sector undertaking or university or recognised research or educational institution.		
2. Physical Standards:-		
Height:	Men	Women
	170 centimeters	157 centimeters
Relaxation:		
Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir.		
	165 centimeters	155 centimeters
All candidates belonging to Scheduled Tribes:	162.5 centimeters	154 centimeters
Chest :		
	General	Schedule Tribes
(Unexpanded)	80 centimeters	77 centimeters
(Expanded)	85 centimeters	82 centimeters
Weight: Corresponding to height and age as per medical standards (for males and females).		
3. Medical Standards:-		
(a) Vision: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing spectacles of lenses.		
(b) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.		
4. Must qualify the physical efficiency test and written test.		

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	Deputation/absorption failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)
<p>By deputation/absorption:</p> <p style="padding-left: 40px;">Officers of the Central Government or State Government or Union territory administrations:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or</p> <p style="padding-left: 40px;">(ii) with five years service rendered after appointment to the post on regular basis in level 6 of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the qualifications prescribed for direct recruitment under column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or deputation of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application.</p>

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(4) Deputy Commandant or Senior Administrative Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.</p>	Not applicable.

[F. No. I. 12012/09/2016-Org.]

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.